

	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुस्वत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>	
---	--	---	---

सी.एस.एफ./2-65/कृषि/Vol.-II/2020-21/

दिनांक :- 06.01.2021.

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में वर्ष 2021-2022 में किये जाने वाले कृषि कार्य करने हेतु सीलबन्द निविदायें दिनांक 05.02.2021 को सांय 1.00 बजे तक आमत्रित की जाती है जो कि दोपहर 2.30 बजे खोली जायेगी। धरोहर राशि रूपये 10118/- मात्र का डी.डी. प्रत्येक चक के लिए जो कि **NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र (दिनांक 05.02.2021 के दोपहर 12.00 बजे तक ही दिये जायेंगे) एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

कृषि कार्यों को करने के लिए नियम व शर्तें

निविदा दाता/बोलीदाता को रूपये 10000/- मात्र प्रत्येक चक का डीडी जो कि **"NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH"** payable at **SURATGARH** में धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगे जो कि कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी ।

खालों की डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना ।

1. फावडों का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा ।
2. खालों की सफाई दोनों किनारों की पटरी सहित सफाई करके घास तथा मिट्टी खाले से बाहर डालनी होगी खाले के अन्दर की मिट्टी निकालने का कार्य खेतों के लेवल के अनुसार करना होगा ।
3. खाले के अन्दर की मिट्टी को बट पर डालनी होगी तथा लेवल करना होगा व व पटरी की सफाई भी करनी होगी ।

पलेवा व पानी लगाना / सिंचाई करना ।

1. फावडों का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसलों में बटों की मरम्मत स्वयं करनी होगी तथा प्रत्येक पटरे के कट बंद करके पानी अलग-अलग पटरे वाईज लगाना होगा ।
3. सिंचाई करते समय क्यारियों के उस भाग का ध्यान रखना होगा जिससे पानी वहाँ पहुँच सके व जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा वहाँ ऊँची टिकरियों पर पानी हथे द्वारा उठाकर फेंकना होगा । बुवाई के बाद फार्म ट्रैक्टर से डाली गयी बट के कट को जोड़ना ।

यूरिया खाद , डी.ए.पी. व जिप्सम का छिडकाव करना ।

1. खाद की मात्रा चक प्रभारी से पूछ कर प्रति एकड़ के हिसाब से क्रोसिंग में दो बार में छिडकनी होगी ।
2. खाद छिडकते समय फसल का कोई भी हिस्सा नहीं छूटना चाहिए जिससे खाद सामान मात्रा में हर जगह पड सके ।
3. खाद छिडकने के लिए फार्म के प्लास्टिक के थैलों की झोलियां स्वयं ठेकेदार को बनानी होगी ।

फसलों में कीटनाशक व खरपतवार नाशक का स्प्रे व डसटिंग करना

1. स्प्रे करने वाले श्रमिकों को अपने हाथ से व पीठ पर लादकर चलने वाली मशीन का इन्तजाम स्वयं करना होगा ।
2. स्प्रे व डसटिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी ।
3. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में खाद एवं दवाई छिडकने पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।
4. दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

फसलों में रोगिंग करना ।

1. रोगिंग के समय फसल से अवांछित पौधे उखाड़ने होंगे व उन्हे चक प्रभारी के आदेशानुसार रखना होगा ।
2. कार्य चक प्रभारी से पूछ कर करना होगा ।

चना, उरद, मूँग, ग्वार आदि फसलों में कसोलो द्वारा गुडाई करना ।

1. मजदूरों व कसोलो का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसल की सारी घास अच्छी तरह निकालनी होगी ।

चना, उरद व मूंग या अन्य फसलों में हल से गुड़ाई करना।

1. ठेकेदार को हल का इन्तजाम स्वयं करना होगा।
2. गुड़ाई के समय फसल में किस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके बिल से कटौती की जायेगी।

चना, धान व अन्य फसलों का उत्पादन विनोईंग सेन्टर पर सुखाना।

1. चना, धान व अन्य फसलों के उत्पादन को सुखाने के लिए मजदूरों का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा ताकि उत्पादन की नमी या बथुआ आदि से किसी प्रकार का नुकसान न हो।
2. मौसम खराब होने पर चना, धान व अन्य उत्पादन के ढेर बनाकर उन्हें तिरपाल द्वारा ढकना।

बिजाई हेतु बीज उपचारित करना।

बिजाई के समय खरीफ व रबी फसलों की बिजाई के लिए बीज उपचारित करने के लिए पर्याप्त श्रमिक लगाने होंगे तथा बीज उपचारित करते समय किसी श्रमिक को दवा का असर होने पर उसका ईलाज आदि कराना ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। फार्म इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

बीज, खाद फार्म वाहन में लादना व उतारना।

बिजाई के समय बीज व खाद को फार्म वाहन में लादने व उतारने के लिए ठेकेदार को पर्याप्त श्रमिक लगाने होंगे तथा खाद भी आवश्यकतानुसार लोड अनलोड करना होगा।

धान की नर्सरी आदि डालना।

धान की नर्सरी की क्यारियों में बीज मापदण्ड के अनुसार बीज का छिड़काव करना होगा। एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में बीज छिड़कने से जो भी क्षति होगी वह ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

धान की नर्सरी उखाडना व धान लगाना।

1. धान की नर्सरी ठेकेदार द्वारा उखाडना तथा व उन्हें चक प्रभारी के बताये गये तुरबों में लगाना
2. प्रति स्कायर मीटर में 30 पौधों से कम पौधे होने पर ठेकेदार के बिल से कटौती काट ली जायेगी।
3. पर्याप्त मात्रा में मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा ताकि धान समय पर लगाया जा सके।

धान से घास निकालना।

1. घास अच्छी तरह जड से निकालनी होगी।
2. घास को दरांती से नहीं काटे क्योंकि दरांती से कटा हुआ घास पुनः हो जाता है। घास को जड से निकालने एवं दरांती से काटने पर उसके बिल से कटौती की जायेगी।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा।

उडद, मूंग व ग्वार आदि की कटाई करना।

उडद, मूंग व ग्वार आदि फसलों की कटाई के लिए पर्याप्त श्रमिक, दरांती आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा कटाई के बाद फसल इक्कट्टा करना, कम्बाईन में झुकाई करना तथा खलिहान साफ करना होगा। थ्रैसिंग के समय यदि किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होने पर ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

फील्ड से गिरे पेड/लकड़ी विनाईंग सेन्टर पर लगाना।

1. पेड/लकड़ी की कटाई के लिए के मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा।
2. लकड़ी ढुलाई के लिए श्रमिक व वाहन ठेकेदार के होंगे।
3. लकड़ी फील्ड में लादना व विनाईंग सेन्टर पर उतारना इसके लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे।
4. जलाऊ व इमारती लकड़ी को अलग-अलग लाना होगा तथा खलिहान पर उतारते समय भी इमारती व जलाऊ लकड़ी का ढेर अलग-अलग लगाना होगा।

बिजाई से छूटे हुए कोनों की कस्सी से गुड़ाई करना तथा बिजाई करना।

1. जुताई के समय छूटे हुए ऐरिया की गुड़ाई कस्सी से ठेकेदार को करनी होगी।

फसल बिजाई के समय सीड डील पर बिजाई करवाना।

1. बीजाई के समय फार्म की सीड डील से बीजाई करवाना।

फसलों में डसटिंग करते समय माउण्टेड ट्रैक्टर पर श्रमिक लगाना।

1. डसटिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी।
2. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में दवाई छिड़कने पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।
3. दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना व बैकर अनलोड करना।

1. कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई करने के लिए ठेकेदार को जरूरत के मुताबित श्रमिक लगाकर कार्य कटाई के साथ-साथ कराना होगा। मोपिंग की फसल को फार्म कम्बाईन में झुकाई कर थ्रैसिंग करनी होगी।
2. बंकर भरने पर फार्म वाहन में उत्पादन अनलोड करना होगा।

खण्ड-तीन में बनी हुई डिग्गी से सिंचाई का करना।

फव्वारों से पानी लगाने के लिये मजदूर, फावड़े आदि ठेकेदार के होंगे तथा पानी सुचारू रूप से लगाना होगा।

कपास व धान में बट बनाना।

1. फावड़ों का इन्तजाम स्वयं ठेकेदार को करना होगा।
2. कपास व धान की बटों को अच्छी तरह से मजबूत बनाना होगा।

अन्य बकाया कार्यों के संबंध में :-

उपरोक्त कार्यों के अलावा जो भी कार्य करवाया जायेगा जो कि निविदा में दिया गया है वह खण्ड प्रभारियों/चक प्रभारियों के दिशा निदेशानुसार करना होगा।

उपरोक्त सभी कार्यों के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा आवंटित कार्य को समय से पूरा न करने पर फार्म द्वारा कार्य को पूरा कराने पर किये गये श्रमिक मद पर अतिरिक्त खर्च के भुगतान की भरपाई ठेकेदार के बिल/धरोहर राशि/सिक्वोरिटी बिल से कर लिया जायेगा।

यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

निविदा प्रपत्र

सेवा में,
श्रीमान निदेशक महोदय,
के.रा.फा., सूरतगढ।

मैं निम्नलिखित दरों पर दिये गये कृषि कार्यों को करने के लिए तैयार हूँ :-

क.स.	कार्य का विवरण	चक	दर
1	खाले की सफाई करना		
क	खाले की सफाई करना व घास निकालना। प्रति मीटर की दर से।		
ख	खाले की डिसल्टिंग करना। प्रति मीटर की दर से।		
ग	मुख्य खाले की दोनों तरफ की पटरी बनाना, समतल करना, झीड़ियां काटना। प्रति मीटर		
2	अ) फसलों के लिए पलेवा करना व प्रथम सिंचाई करना, प्रति एकड़ की दर। खण्ड- 1 खण्ड- 3 व पीबीएन-खण्ड- 2 आरपीएम.खण्ड- 2		
	ब) द्वितीय व बाद की सिंचाई करना दर प्रति एकड़। खण्ड-1 खण्ड 3 व पीबीएन-खण्ड 2 आरपीएम-खण्ड 2		
3	मुरब्बों में कपास व धान में बट कसना। प्रति मीटर की दर से।		
4	यूरिया खाद, डी0ए0पी0 व जिप्सम का छिड़काव फार्म के ट्रैक्टर मशीन द्वारा करना प्रति एकड़ की दर से।.....तथा ठेकेदार द्वारा करना प्रति एकड़.....		
5	फसलों में कीट नाशक दवाओं का छिड़काव करना, दर प्रति एकड़		
6	फसलों में रोगिंग करना, सिंचितव असिंचितप्रति एकड़ की दर से।		
7	उड़द, मूंग चना व अन्य फसलों में कसोलों से गुड़ाई करना, ज्यादा घास मध्यम घास व कम घास की प्रति एकड़ की दर से। (श्रेणी- A, B, C)		
	खरीफ/रबी फसलों की उटहल से गुड़ाई दर प्रति एकड़ में		
	खरीफ/रबी फसलों इंटरकल्चर Spike Teeth से करना। प्रति एकड़ की दर से।		
	फार्म ट्रैक्टर से चनें की गुड़ाई करने के लिए ट्रैक्टर के पीछे दुफाली व त्रिफाली पकड़ने के लिए ठेके के आदमी दर प्रति एकड़ से।		
	साँवल अथवा नाईफ टाईप कल्टीवेटर सिंगल फाली द्वारा फसलों में इंटरकल्चर। प्रति एकड़ की दर से।		
8	धान की नर्सरी के लिए क्यारियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, पानी में पाटा चलाना, धान की नर्सरी के लिए बीज डालना प्रति एकड़ की दर से.....		
 व मशीन से रोपाई के लिए पौध तैयार करना प्रति एकड़ की दर से।		
	धान की नार्सरी उखाड़ना व धान लगाना, एक स्क्वायर मीटर में करीब 30 पौधों से कम न हो। प्रति एकड़ की दर (फार्म वाहन इस्तेमाल व ठेकेदार द्वारा स्वयं का वाहन इस्तेमाल) से।		
	धान की रोपाई से पूर्व में मुरब्बों से झाग/कचरा को बाहर निकालना। दर प्रति एकड़		
	धान में घास निकालना ज्यादा घास, मध्यम घास व कम घास, प्रति एकड़ की दर से।		
9	फार्म क्षेत्र में सूखें व गिरें हुए पेड़ों को काट-छांटकर अपने वाहन (ठेकेदार के) से विनॉईंग सेन्टर पर लाना, जलाऊ व इमारती लकड़ी अलग-अलग ढेरों में		

	उतारना। प्रति क्विटल की दर से।		
10	बथुआ में से चना की दाल चूरी की सफाई करना प्रति क्विटल की दर से। चने की फसल में बथुआ की कटाई दर प्रति एकड़ में।		
11	खलियान से आये हुए चने(पोड) की थ्रेसिंग थ्रेसर (ठेकेदार के) से करना प्रति क्विटल की दर से।		
12	फसल की बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना तथा छूटे हुये कोनों की बिजाई बीजोपचार सहित करना। व बिना बीजोपचार सहित.दर प्रति एकड़ के आधार पर।		
13	फसलों में स्प्रे करते समय ट्रैक्टर से जुड़े जैक्टो स्प्रेयर में पानी व दवा डालकर छिड़काव करना व फसलों के स्प्रे करते समय ट्रैक्टर से जुड़े माउण्टेड स्प्रेयर पानी व दवा डालकर छिड़काव करवाना।		
	(क) प्राइवेट ट्रैक्टर से बाहर से स्प्रे करना मजदूर सहित – दर प्रति एकड़		
	(ख) प्राइवेट ट्रैक्टर से खेत के अंदर, मजदूर सहित स्प्रे करना– दर प्रति एकड़		
	(ग) फार्म ट्रैक्टर से खेत के बाहर, मजदूर सहित स्प्रे करना – दर प्रति एकड़		
14	कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना.....40..... व बैकर अनलोड करना10..... । दर प्रति एकड़।		
15	खण्ड 3 में डिग्गी में पानी भरना तथा फव्वारों से सिंचाई करना। दर प्रति एकड़।		
16	खड़े पेड़ों की सिंगलिंग करना, दर प्रति पेड़–		
17	खड़े पेड़ों में पत्ती लगना, गर्थ नापना व नम्बरिंग करना।		
18	फसलों में काचर बेल निकालना दर प्रति एकड़–ए श्रेणी.....बी श्रेणी.....सी श्रेणी.....		
19	फार्म ट्रैक्टर स्प्रेयर फसलों में स्प्रे के श्रमिक उपलब्ध कराना। दर प्रति एकड़		
20	फसलों में अपने श्रमिक द्वारा 16 लीटर की अपनी ढोलकी द्वारा स्प्रे करना । दर प्रति ढोलकी		
21	छोटी/बड़ी पत्ली खाली कटटो/बोरी के आधार पर सिलाई करके तैयार करना। दर प्रति कटटा/बोरी		
22	बाजरा व अन्य फसलों से चिडिया को उड़ाना। दर प्रति एकड़/प्रतिदिन		
23	फसलों में से विशेषकर Low Line Area में से पानी को Drain out करना । दर प्रति एकड़		
24	कट व साइफनों को बोरी द्वारा बंद करना । दर प्रति बोरी		
25	चको पर वाहनों के आने जाने वाले के रास्तों की 4 इंच से पतली झाड़ियों की सफाई कार्य। दर प्रति मीटर		

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....